

1

प्रति,

श्री अशोक शर्मा,  
संयुक्त राज्य,  
राज्य प्रशासन :

श्री,

राज्य,  
राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
कक्षा 2 मंडल,  
प्रति विचार में दिल्ली :

विषय 178 अनुमान

संबंधित दिनांक: 7 अगस्त, 1999

विषय:- मध्य कक्षा माध्यमिक स्कूल मंडली की संतत विद्यार्थी मंडली की संस्थापना हेतु अनुसूचित प्रमाण पर प्रस्ताव दिया जाता है।

महोदय,

अवगत विषय पर मुझे यह कही जा चुकी है कि मध्य कक्षा माध्यमिक स्कूल मंडली संतत विद्यार्थी मंडली की संस्थापना हेतु अनुसूचित प्रमाण पर दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन कार्य करना पड़ेगा :-

- 111 विद्यालय की संस्थापना की जायेगी।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनकी उन्नत प्रवेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विद्यार्थी छात्रों के लिए निर्धारित सुविधा से अधिक सुविधा नहीं दिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत शिक्षा परिषद के माध्यम प्राप्त है तथा विद्यालय की संस्थापना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसिल कार डिप्लोमा स्कूल मंडली/संस्थापना मंडल दिल्ली के द्वारा की जायेगी तो उन मंडली परिषदों के संस्थापना सुविधा को शिक्षा परिषद के माध्यम तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 151 संस्था शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण कर्मचारियों के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य मंडलों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों को सेवा लॉ काफ़ी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आतिथीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

171 राज्य सरकार द्वारा अन्य समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें, संस्था उनका पालन करेगी।

181 विद्यमान का रिपोर्ट निर्धारित प्रश्न/परिणतों में रजत करियेगा।

191 उक्त संस्था में राज्य सरकार के प्रचारप्रसार के विना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पालन जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुष्ट या निश्चिन्ता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्पश्चात् ही दिया जायेगा।

भवदीय,

राज्यीय संस्था  
संयुक्त संघ

संज्ञा 49/2011/15-7-1999 अतिरिक्त

प्रतिनिधि नि-नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित :-

- 1- अतिरिक्त विदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- राज्यीय संयुक्त शिक्षा विभाग, दिल्ली।
- 3- शिक्षा विभाग, दिल्ली, मद्रासी संस्कारविद्यालय।
- 4- निरीक्षक, उच्च भारतीय विद्यालय उज्जैन लखनऊ।
- 5- प्रधान, मद्रासी संयुक्त संघ मद्रासी संस्कारविद्यालय।

आपके,

राज्यीय संस्था  
संयुक्त संघ